

LD-144 CV-19
B.A.LL.B. (I Semester)
Examination, Jan.-2021
Law of Torts. M.V. Act.

Time : Three Hours]

[Maximum Marks : 100
[Minimum Pass Marks : 36

नोट : सभी प्रश्नों के उत्तर दीजिए। सभी प्रश्नों के अंक समान हैं।
Note Answer all questions. All questions carry equal marks.

इकाई / Unit-I

1. "अवश्यम्भावी दुर्घटना से आप क्या समझते हैं? अपकृत्य की कार्यवाही में क्या यह एक वैध प्रतिरक्षा है। उदाहरण सहित समझाइए! इसमें तथा दैविक कृत्य में अंतर समझाइए।

What do you understand by "Inevitable Accident". Is this valid defence in an action of Torts. Explain with examples Distinguish it from "Act of God",

अथवा / OR

अपकृत्य की प्रकृति का वर्णन कीजिए एवं अन्य विधिक त्रुटियों से उसका अंतर स्पष्ट कीजिए।
Discuss Nature of Tort and distinguish it from other kinds of legal wrongs.

इकाई / Unit-II

2. उन आधारभूत तथ्यों का विवेचन कीजिए जो अपकृत्य के दायित्व के उद्भूत होने के लिए आवश्यक हैं। प्रतिनिधिक दायित्व क्या है। जिन सूत्रों पर ये आधारित हैं उनकी विवेचना कीजिए।

What are the essential conditions Necessary for liability in Torts to arise? What is the Vicarious liability. Explain the doctrines on which it is based.

अथवा / OR

मोटर यान अधिनियम के तहत "त्रुटि के बिना दायित्व" को समझाइए। मोटर यान अधिनियम के तहत प्रतिकर का दावा कौन कर सकता है एवं प्रक्रिया क्या है।

Explain "No fault liability" under Motor vehicles Act. Who can claim for compensation and what procedure to be followed regarding under motor vehicles Act.

इकाई / Unit-III

3. हमला, प्रहार, अंग भंग की विवेचना उदाहरण सहित कीजिए।

Explain Assault, Battery and Mayhem with illustrations.

अथवा / OR

चल संपत्ति के प्रति विभिन्न अपकृत्यों का विवेचन कीजिए।

What are various torts against movable property explain.

इकाई / Unit-IV

4. उपेक्षा से आप क्या समझते हैं? "अंतिम अवसर के नियम" का विशेष उल्लेख करते हुए अंशदायी प्रमाद के सिद्धांत की विवेचना कीजिए।

What do you understand by "Negligence", explain the principle of contributory Negligence with Special reference to "last opportunity rule".

अथवा / OR

अपदूषण की परिभाषा देते हुए उसके विभिन्न प्रकारों का वर्णन कीजिए। पदूषण के आधार पर चलने वाले प्रकरण में क्या बचाव उपलब्ध होने हैं।

Define Nuisance and explain its kinds. what are the defences available in action for Nuisance.

इकाई / Unit-V

5. रेलेण्ड w/s फ्लेचर के बाद के तथ्य एवं प्रतिपादित विधि के सिद्धांत का वर्णन कीजिए।

[AIR 1965 Sc. 1039]

Explain the facts and principles of law laid down in the case of Ryland Vs Fletcher [AIR 1965 Sc. 1039]

अथवा / OR

कस्तूरी लाल रालिया राम जैन बनाम उत्तर प्रदेश राज्य [AIR 1965 Sc. 1039] के बाद के तथ्य एवं प्रतिपादित विधि के सिद्धांत का वर्णन कीजिए।

Explain the facts and principles of law laid down in Kasturi Lal Ralia Ram Jain w/s state of U.P. [AIR 1965 Sc. 1039].